राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 201 / 2023

प्रभुलाल प्रजापत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बांसवाड़ा, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.05.2023
आदेश की दिनांक : 25.04.2024

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने राजस्थान सेवा नियम के नियम–32 के अंतर्गत उससे कनिष्ठ कर्मचारी को देय वेतन एवं परिलाभ के बराबर वेतन एवं अन्य परिलाभ प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नियोजन कार्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर आदेश दिनांक 04.09.1978 (अनुलग्नक–2) से हुई। आदेश दिनांक 19.11.1984 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं अर्द्धस्थायी की गयी। प्रत्यर्थी वभाग के आदेश दिनांक 31.03. 1995 (अनुलग्नक–4) के द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमित की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 12.01.1987 (अनुलग्नक–5) द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, उस वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 11 पर एवं अन्य कर्मचारियों को जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं उनका नाम क्रम संख्या 32 एवं 33 पर अंकित हैं।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को अपीलार्थी से अधिक वेतन दिया जा रहा था, जोकि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2006 के

आंतरिक सूचना दिनांक 15.12.2006 (अनुलग्नक–7) द्वारा परिलक्षित हो रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को अपीलार्थी से अधिक वेतन दिए जाने एवं अपीलार्थी को कम वेतन दिए जाने के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा अनेक बार विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए (अनुलग्नक–9), लेकिन विभाग द्वारा उन अभ्यावेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2014 के द्वारा अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति हो गया। अपीलार्थी के समकक्ष अन्य कार्मिकों ने वेतन विसंगति के संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 10126/2009 पवन सिंह बनाम राज्य व अन्य प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को दिनांक 28.04.2016 (अनुलग्नक–1) को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया कि याची को वेतन विसंगति दूर करते हुए नियमानुसार समस्त परिलाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अधिकरण को जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अतः इस आधार पर अपील को खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत विनिश्चियों के प्रकाश में मनन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर हमारे विनम्र मत में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के समान तथ्यों वाली एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 10126/2009 उनवानी पवन सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय दिनांक 28.04.2016 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याची की याचिका को स्वीकार करते हुए वेतन विसंगति को विधि–विरूद्ध माना है। अतः उक्त प्रकरण भी समान प्रकृति के होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपील को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को जिस तिथि से अधिक वेतन दिया जा रहा है उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उनके समान वेतन एवं अन्य समस्त परिलाभ प्रदान करते हुए वेतन विसंगति का निराकरण किया जावे। इसकी पालना 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य